

# Order Sheet [Contd]

II-156  
C.J.

Case No. 464/17 of 20.....

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में उभयपक्षों द्वारा प्रकरण रखे जाने के अनुरोध से प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा उप०।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

आहत केशोबाई सहित अधिवक्ता श्री आ०बी० दौंदेरिया उप०।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० डोंकेट पर राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री दौंदेरिया एवं अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री मिश्रा द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294 न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिमूर्ति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

पीठासीन अधिकारी

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत गोहद

नि. को. को. व. 17  
ग. द. को. को. व. 17  
म. म. को. को. व. 17  
ग. द. को. को. व. 17  
म. म. को. को. व. 17